

**FORM-I**  
(For Linear Project)  
**Government of Jharkhand**  
**Office of the District Collector, Hazaribagh**

No...1202

Dated...4/9/18


**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98 FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it certified that area Vill Bachhai -0.5080 hectare, Singhrawa -1.1920 hectare, Titahi -0.5880 hectare, Kewla -0.7120 hectare & 0.3040 hectare and Ganga Ahar -0.3560 hectare, & 0.3200 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Gas Pipe Line. In Hazaribagh District falls within jurisdiction of Chouparan Circle's area of 0.5080 hectare and 3.472 hectare in villages Bachhai, Singhrawa, Titahi, Kewla, Ganga Ahar, Chouparan tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire Vill Bachhai -0.5080 hectare, Singhrawa -1.1920 hectare, Titahi -0.5880 hectare, Kewla -0.7120 hectare & 0.3040 hectare and Ganga Ahar -0.3560 hectare, & 0.3200 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(a), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 3.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above

  
Deputy Commissioner  
Hazaribagh

# उपायुक्त का कार्यालय (कल्याण शाखा)

हजारीबाग जिला के चौपारण अंचल अन्तर्गत गैस पाईप लाईन कार्य हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित हस्तांतरण के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैरमजरुआ, जंगल Deemed Forest भूमि (जंगल) भूमि जो जिला हजारीबाग अंचल-चौपारण के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का अनापत्ति प्रमाण निर्गत किया जाना है।

अंचल का नाम	योजना का नाम	वन प्रमण्डल	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	ग्राम का नाम	रकबा	भूमि का प्रकार	
चौपारण	गैस पाईप लाईन	पश्चिमी वन प्रमण्डल	172	43	1828	बचई	0.5080 हे०	जंगल झाड़ी	
			170	72	2279	सिंघरावा	1.1920 हे०	जंगल झाड़ी	
			173	24	958	तितही	0.5880 हे०	जंगल झाड़ी	
			168	71	1522	केवला	1520	0.7120 हे०	जंगल झाड़ी
							0.3040 हे०		
							1.0160 हे०		
			164	35	1738	गंगा अहार	1741	0.3560 हे०	जंगल झाड़ी
							0.3200 हे०		
							0.6760 हे०		

उपरोक्त भूमि जंगल (Deemed Forest) है। गैस पाईप लाईन कार्य के लिए भूमि अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रायोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेंगे।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात आवश्यकतानुसार उक्त भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जिला में प्रस्ताव समर्पित किया जायगा।

*[Handwritten Signature]*

उपायुक्त,  
हजारीबाग।

- ज्ञांपाक ..1203...../क०, ह०बाग, दिनांक ५/११/२०१८
- प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, चौपारण को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी NIC, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- उप महाप्रबंधक, (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*

उपायुक्त,  
हजारीबाग।